

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1142)/2018/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
नागौर।

विषय:- श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन के 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृत करने  
बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2754-55 दिनांक 06.04.2018 के क्रम में।

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर  
क्रमांक : ई.टे./

उपरोक्त विषयान्वित संदर्भित पत्र के द्वारा उक्त कर्मचारी के 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृति  
नागौर।

हेतु प्रपत्र भिजवाया है के सम्बन्ध में लेख है कि कर्मिक का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में  
सुरेन्द्र के स्वीकृत करने

उल्लेखित प्रावधानानुसार पुनः निर्धारित चैक लिस्ट तैयार कर एसीआर प्रमाण पत्र के साथ

निदेशालय को भिजवाया ताकि उक्त कर्मिक के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्रमांक : ई.टे./

संयुक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राजस्थान, जयपुर के तंत्र में  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
नागौर।  
हेतु प्रपत्र है के  
सुरेन्द्र के स्वीकृत करने  
उल्लेखित प्रमाण पत्र

( डॉ0बी.एल.सेनी )  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राजस्थान, जयपुर के तंत्र में

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1142)/2018/470 दिनांक : 01/08/2018  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मकराना, नागौर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन को पालनार्थ।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

( डॉ0बी.एल.सेनी )  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राजस्थान, जयपुर के तंत्र में

क्रमांक : ई.टे./  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
नागौर।  
1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मकराना, नागौर।  
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करें।  
3. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन को पालनार्थ।  
4. आदेश/निजी पत्रावली।